रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 781] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 9, 2016/कार्तिक 18, 1938
No. 781] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 9, 2016/KARTIKA 19, 1938

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2016

सा.का.नि. 1053(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय चीनी संस्थान, (सुरक्षा निरीक्षक) भर्ती नियम, 1981, का अधिक्रमण करते हुए, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर में सुरक्षा निरीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय शर्करा संस्थान (सुरक्षा निरीक्षक) भर्ती नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण पे-मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों के उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पदों से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति.—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे-मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
सुरक्षा निरीक्षक	01*(2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, गैर-अनुसचिवीय	वेतन-मैट्रिक्स में स्तर-5 रू॰ 29200-92300/-.

चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता।	18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों अथवा आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक छूट) टिप्पण 1:- आयु सीमा निर्धारित करने हेतु निर्णयात्मक तारीख भारत में आवेदकों से आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख होगी न कि असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर का लद्दाख डिवीजन, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिलों, तथा हिमाचल प्रदेश के पांगी और चम्बा जिले, अण्डमान और निकोबार अथवा लक्षद्वीप के उम्मीदवारों हेतु आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख। टिप्पण 2:- रोजगार कार्यालय के माध्यम से भरे गए पद के मामले में आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निश्चित तारीख वह होगी जो रोजगार कार्यालयों को नाम प्रस्तुत करने के लिए कही गई हो।	आवश्यक: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बेचलर डिग्री अथवा समतुल्य। वांछनीय: सुरक्षा कार्य में छह वर्ष का अनुभव जिसमें से पर्यवेक्षी क्षमता में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो। टिप्पण: अनुभव के संबंध में अर्हता को प्रत्येक मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेकाधिकार द्वारा शिथिल किया जा सकता है यदि चयन के किसी स्तर पर अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के संबंध में सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव वाले अभ्यर्थी इनके लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

क्या सीधी भर्ती द्वारा निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों पर भी लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती हेतु दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा। अथवा राष्ट्रीय शर्करा संस्थान में संविदा आधार पर सुरक्षा निरीक्षक के पद पर कार्यरत कर्मिकों के नियमितीकरण पर विचार किया जाएगा बशर्ते कि उन्हें कम से कम दस वर्ष का अनुभव प्राप्त हो।

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाना है।	यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना क्या है?	वे परिस्थितियां जिनके तहत भर्ती करने हेतु संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करना आवश्यक होता है।
(11)	(12)	(13)
अल्पावधिक संविदा: कनिष्ठ कमीशन प्राप्त अधिकारी के पद क्रम का सेना का कोई अधिकारी अथवा रक्षा सेनाओं अथवा अर्ध-सैनिक बलों के समकक्ष अधिकारी प्रतिनियुक्ति (आइएसटीसी): राज्यों में पुलिस के सहायक उपनिरीक्षक पद क्रम के अधिकारी अथवा ग्रेड में 8 वर्ष की सेवा वाले केन्द्रीय पुलिस संगठन के अधिकारी। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी)	समूह 'ग' विभागीय समिति प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:- (1) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर —अध्यक्ष (2) सहायक आचार्य, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर —सदस्य (3) तकनीकी अधिकारी अथवा कनिष्ठ अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-12018/1/2011-शर्करा प्रशा.]

सुभाशीष पन्डा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2016

G.S.R. 1053(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the National Sugar Institute (Security Inspector) Recruitment Rules, 1981, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Security Inspector, in National Sugar Institute, Kanpur in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, namely :-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the National Sugar Institute (Security Inspector) Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification, level in the pay matrix.**—The number of posts, their classification, level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
Security Inspector	01* (2016) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group-C Non-gazetted, Non-Ministerial.	Level-5 in Pay Matrix Rs. 29200-92300/-.

Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(5)	(6)	(7)
Not applicable.	Between 18 and 25 years. (Relaxable for departmental candidates up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.)	**Essential:** Bachelor's degree from a recognised University or equivalent. **Desirable:** Six years experience in security work of which at least three years should be in a supervisory capacity.

	Note 1:- The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep. **Note 2:-** In case of post filled through Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchanges are asked to submit names.	**Note:-** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in each case, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill-up the post reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years for direct recruits	By deputation (including short term contact) failing which by direct recruitment. or Persons working as Security Inspector at National Sugar Institute on contract basis to be considered for regularisation provided they possess at least ten years experience.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Short-term contract: Retired army personnel of the rank of Junior Commissioned Officer or equivalent in the defence services or para-military forces.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation):- 1. Senior Administrative Officer, National Sugar Institute, Kanpur —Chairman 2. Assistant Professor, National Sugar Institute, Kanpur —Member 3. Technical Officer or Junior	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

Deputation (ISTC): Officers of the rank of Assistant Sub-Inspector of Police in the State or Central Police organisations with eight years service in the grade. (Period of deputation shall ordinarily not exceed three years).	Technical Officer, National Sugar Institute, Kanpur. —Member	

[F. No. A-12018/1/2011-SA]

SUBHASISH PANDA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

HARINDRA KUMAR Digitally signed by HARINDRA KUMAR Date: 2016.11.10 10:20:59 +05'30'